भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-6

उत्तर देने की तारीख-20/07/2026

केजीबीवी का मूल्यांकन

†6. **श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:**
श्री पुट्टा महेश कुमार:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) में उपलब्ध अवसंरचनात्मक सुविधाओं का कोई मूल्यांकन किया है;
(ख) यदि हां, तो सुविधाओं में कमियां और अपेक्षित मानकों के अनुपालन सहित प्रमुख निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;
(ग) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में स्वीकृत और कार्यरत आईसीटी प्रयोगशालाओं और स्मार्ट कक्षाओं की कुल संख्या कितनी है;
(घ) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और जिला-वार विशेषकर आन्ध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत और रिक्त हैं;
(ङ.) सरकार के मूल्यांकन के अनुसार इसमें शामिल कार्यक्रमों, एजेंसियों और प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या है; और
(च) सरकार द्वारा आन्ध्र प्रदेश पर विशेष ध्यान देते हुए देश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में पहचान की गई अवसंरचनात्मक कमियों को दूर करने, शिक्षण रिक्तियों को भरने और शैक्षिक संसाधनों को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (च): शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसई एंड एल) ने योजना के प्रदर्शन और कार्यान्वयन चुनौतियों का आकलन करने के लिए वर्ष 2022-23 के दौरान राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के माध्यम से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) का मूल्यांकन शुरू किया है। मूल्यांकन में चार प्रमुख क्षेत्रों- बुनियादी ढांचे, शिक्षाविदों, वित्तीय प्रबंधन और प्रशासन को शामिल किया गया तथा

छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, संरक्षक, एसएमसी सदस्यों तथा जिला और राज्य के अधिकारियों से प्रतिक्रियाएं जुटाई गई हैं। निष्कर्षों के आधार पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की गुणवत्ता तथा प्रभावी कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न सिफारिशों के साथ एक व्यापक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

एनसीईआरटी मूल्यांकन में, अन्य बातों के अलावा, यह पाया गया कि केजीबीवी ने सुरक्षित और सहायक आवासीय वातावरण प्रदान कर वंचित समुदायों की बालिकाओं के लिए शिक्षा तक पहुंच, नामांकन, प्रतिधारण और अधिगम परिणामों में सुधार लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, साथ ही प्रशिक्षण, आईसीटी सुविधाओं, केजीबीवी के स्तरोन्नयन आदि की सिफारिश की है।

तत्पश्चात, आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उनकी आवश्यकताओं के अनुसार मौजूदा केजीबीवी को कक्षा XI। तक स्तरोन्नत करने, अतिरिक्त शयनकक्षों, शौचालयों, चाहरदीवारी, फर्नीचर तथा उपकरणों, बिस्तरों को बदलने, शिक्षण-अधिगम सामग्री, पुस्तकालयों की पुस्तकें, खेल सुविधाओं आदि के निर्माण सहित विभिन्न उपाय किए गए हैं। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी कार्यात्मक केजीबीवी में आईसीटी लैब्स और स्मार्ट क्लासरूम को अनुमोदित किया है, ताकि महिला छात्रों को सशक्त बनाया जा सके, उन्हें डिजिटल रूप से दक्ष बनाया जा सके और उनके अधिगम परिणामों को बेहतर किया जा सके।

इसके अलावा, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (एनआईईपीए) के सहयोग से केजीबीवी संरक्षकों के लिए एक संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस पहल का उद्देश्य संसाधनों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और उनके संस्थागत और प्रशासनिक कौशल के संवर्धन हेतु संरक्षक की क्षमता को मजबूत बनाना है जिससे एक सुरक्षित और सहायक वातावरण को बढ़ावा मिलता है जो लड़कियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देता है और उसमें सुधार करता है।

शिक्षा भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के शिक्षण और गैर-शिक्षण संकाय की भर्ती और तैनाती सहित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के प्रचालन और कार्यकरण से संबंधित मामले संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के लिए संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के शिक्षण एवं गैर-शिक्षण संकाय की भर्ती राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की जाती है। शिक्षकों की भर्ती एक सतत प्रक्रिया है। केन्द्र सरकार, समग्र

शिक्षा के माध्यम से स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार उपयुक्त छात्र-शिक्षक अनुपात बनाए रखने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करती है।

आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रकाशम जिले में 37 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कार्यरत हैं। इनमें से 4 केजीबीवी जो नए कार्यात्मक हैं उन्हें छोड़कर 33 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में आईसीटी प्रयोगशालाएं और स्मार्ट कक्षाओं की सुविधाएं हैं । आंध्र प्रदेश में, सभी 497 अनुमोदित आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लास रूम काम कर रहे हैं।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में स्वीकृत और कार्यशील आईसीटी प्रयोगशालाओं और स्मार्ट कक्षाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।

अनुलग्नक

माननीय संसद सदस्य श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी और श्री पुट्टा महेश कुमार द्वारा केजीबीवी का मूल्यांकन के संबंध में पूछे गए दिनांक 20.07.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 6 के भाग (क) से (च) में संदर्भित अनुलग्नक

केजीबीवी में स्वीकृत और कार्यात्मक आईसीटी प्रयोगशालाओं और स्मार्ट कक्षाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	आईसीटी प्रयोगशाला		स्मार्ट कक्षा	
		स्वीकृत	कार्यात्मक	स्वीकृत	कार्यात्मक
1	आंध्र प्रदेश	497	497	497	497
2	अरुणाचल प्रदेश	65	65	23	23
3	असम	146	63	146	146
4	बिहार	627	627	627	627
5	छत्तीसगढ	121	0	121	0
6	डीएनएच-डीडी	2	1	2	0
7	गुजरात	35	35	116	116
8	हरियाणा	66	66	36	36
9	हिमाचल प्रदेश	14	14	14	1
10	जम्मू एवं कश्मीर	89	0	89	89
11	झारखंड	203	202	203	202
12	कर्नाटक	95	0	95	0
13	केरल	1	0	1	0
14	लद्दाख	15	15	9	9
15	मध्य प्रदेश	408	207	408	302
16	महाराष्ट्र	3	0	42	0
17	मणिपुर	12	12	12	12
18	मेघालय	10	10	0	0
19	मिजोरम	2	2	2	0
20	नागालैंड	22	22	22	22
21	ओडिशा	319	224	327	0
22	राजस्थान	282	0	430	0
23	सिक्किम	2	2	5	4
24	तमिलनाडु	61	61	61	0
25	तेलंगाना	230	230	230	230
26	त्रिपुरा	15	15	15	15
27	उत्तराखंड	28	27	11	11
28	उत्तर प्रदेश	835	746	837	746
	कुल	**4205**	**3143**	**4381**	**3088**
स्त्रोत: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार					
